E-5

INDIA NON JUDICIAL

25000

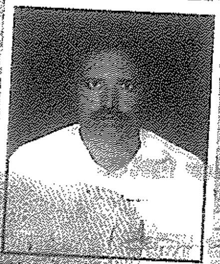

उत्तर प्रदेश ... SH

विक्रय पत्र

विक्रय मूल्य 21,51,336/— रूपये

जिलाधिकारी द्वारा जारी दर सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 14 के अनुसार अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित दर 25,00,000/— रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है परन्तु स्टाम्प असल विक्रय मूल्य पर अदा किया जा रहा है। सार्किल रेट अनुसार कीमत 7,68,335/-

स्टाम्प शुल्क 2,15,200/— रूपये

स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यतापूर्वक पालन किया गया है।

विक्रेता अनुसूचित जाति से **नहीं है।**

विक्रित भूमि पूर्णतः कृषि प्रयोजन की है।

28 /6/2007 25000

मैसर्स स्पीडोम्स ट्रैकनोपार्क प्रा०लि० 225 ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट फेज तृतीय नई दिल्ली द्वारा पंकज गुप्ता S/o श्याम सुन्दर गुप्ता R/o वेस्टर्न कचहरी रोड मेरठ।

उप-रजिस्ट्रार सरधना

पु० 2151384

5229 1600

5229 21

पंकज गुप्ता

[illegible]

27-7-07

[illegible]

पु० 2151384

[illegible]

मेरठ

[illegible]

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

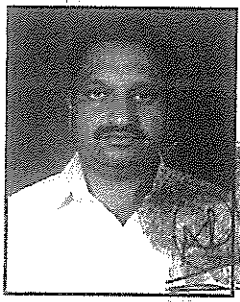

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

372970

विक्रित भूमि राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रित भूमि में कोई पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

हम कि श्री किरतपाल सिंह ढिल्लों पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी 153–सुभाषपुरी, कंकरखेड़ा, मेरठ व चतरपाल सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह निवासी ग्राम दांतल, तहसील व जिला मेरठ व राजनाथ पाठक पुत्र श्री रामचरन पाठक निवासी मौहल्ला हरलालपुरा कस्बा सरधना व नवीन कुमार पुत्र श्री नेमीशरण निवासी मौहल्ला साहेवान कस्बा जानसठ जिला मु0नगर, व श्रीमती रजनी गुप्ता पत्नी श्री गोपाल कृष्ण सिंघल निवासी शाक्यपुरी कंकरखेड़ा, मेरठ व संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामरिछपाल गुप्ता निवासी ग्राम भटपुरा, तहसील सम्भल जिला मुरादाबाद – विक्रेतागण / प्रथम पक्ष

एवं

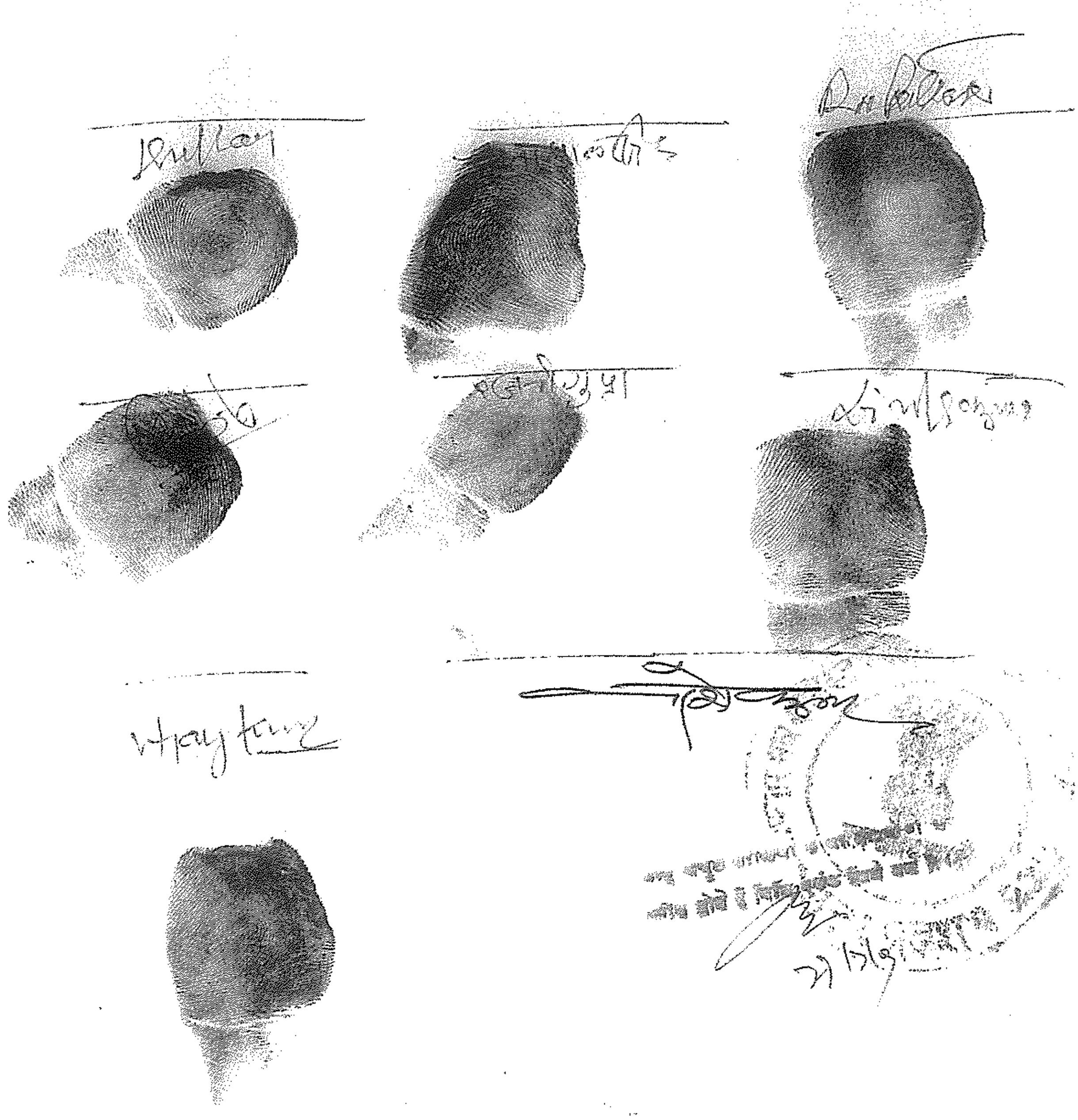

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मैसर्स एपीटोम टेक्नोपार्क प्रा0लि0, 225—ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज तृतीय, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री श्यामसुन्दर गुप्ता निवासी 239—असौड़ा हाउस, वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ शहर क्रेता / द्वितीय पक्ष

जो कि भूमिधरी भूमि खाता संख्या 253 के खसरा नम्बर 165 / 2 रकबा 0.1000 हे0 शून्य दशमलव एक शून्य शून्य शून्य हैक्टेयर व 193 / 2मि0, रकबा 0.0540 हे0 शून्य दशमलव शून्य पांच चार शून्य हैक्टेयर व 194 / 1मि0, रकबा 0.1010 हे0 शून्य दशमलव एक शून्य एक शून्य हैक्टेयर व 195 / 1, रकबा 0.0600 हे0 शून्य दशमलव शून्य छः शून्य शून्य हैक्टेयर व 196 / 1, रकबा 0.0420 हे0 शून्य दशमलव शून्य चार दो शून्य हैक्टेयर व 198मि0, रकबा 0.0630 हे0 शून्य दशमलव शून्य छः तीन शून्य हैक्टेयर व 199 / 1, रकबा 0.1590 हे0 शून्य दशमलव एक पांच नो शून्य हैक्टेयर व 200

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रकबा 0.1010 हे0 शून्य दशमलव एक शून्य एक शून्य हैक्टेयर व 202, रकबा 0.0510 हे0 शून्य दशमलव शून्य पांच एक शून्य हैक्टेयर व 203, रकबा 0.1010 हे0 शून्य दशमलव एक शून्य एक शून्य हैक्टेयर व 204 रकबा 0.0630 हे0 शून्य दशमलव शून्य छः तीन शून्य हैक्टेयर व 205, रकबा 0.1770 हे0 शून्य दशमलव एक सात सात शून्य हैक्टेयर व 206 रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 207 रकबा 0.1390 हे0 शून्य दशमलव एक तीन नो शून्य हैक्टेयर व 208 रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 209 रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 210 रकबा 0.1140 हे0 शून्य दशमलव एक एक चार शून्य हैक्टेयर व 211 रकबा 0.1770 हे0 शून्य दशमलव एक सात सात शून्य हैक्टेयर कुल 18 नम्बर कुल रकबा 1.8440 हे0 का अपना समस्त 1/6 एक बटा छः भाग यानि विकित भूमि 0.3073,1/3 हे0 शून्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दशमलव तीन शून्य सात तीन सही एक बटा तीन हैक्टेयर स्थित ग्राम रोशनपुर डौरली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठजो कि मौके पर पूर्ण रूप से खाली है और जो प्रथम पक्ष के स्वामित्व की है, जो प्रथम पक्ष ने बजरिये बैनामा क्रय की हुई है, और प्रथम पक्ष को बहैसियत होने पूर्ण स्वामी भूमिधरी उक्त को विक्रय करने के पूर्णतः अधिकार प्राप्त हैं कि जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भार, दोष वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने में हर प्रकार से लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में समस्त व सम्पूर्ण भूमिधरी विक्रित उक्त के मय समस्त अधिकार स्वामित्व अधिपत्य आदि सहित बिना छोड़ हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया हो अथवा न किगा गया हो बदले अंकन 21,51,336/- इक्कीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

372966

छत्तीस रूपये कि आधे जिसके अंकन 10,75,668/– दस लाख पिछत्तर हजार छः सौ अड़सठ रूपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स एपीटोम टेक्नोपार्क प्रा0लि0, 225–ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज तृतीय, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री पंकज गुप्ता पुत्र श्री श्यामसुन्दर गुप्ता निवासी 239–असौड़ा हाउस, वेस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ शहर को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त करके विक्रित भूमिधरी उक्त को अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष के स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधरी विक्रित उक्त का मौके पर खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधरी विकित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में

क्र. 53 16/7/13 2500
दाखिल क्र. 48

उप-रजिस्ट्रार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ और यह विक्रय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधरी विक्रित उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहैसियत मालिक दर्ज करा लें। नाम दर्ज कराने में जहां कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उस में प्रथम पक्ष को कुछ उज्र व एतराज न होगा तथा आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधरी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस पर कोई ऋण या भार पाया जावे तो ऐसी प्रत्येक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा बैनामा मय ब्याज मय वाद व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे, जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्यः
अंकन 3,58,500/— रूपये चैक नम्बर 528256 दिनांकित 16.7.2007
अंकन 3,58,500/— रूपये चैक नम्बर 528257 दिनांकित 16.7.2007
अंकन 3,58,500/— रूपये चैक नम्बर 528258 दिनांकित 16.7.2007
अंकन 3,58,500/— रूपये चैक नम्बर 528259 दिनांकित 16.7.2007
अंकन 3,58,500/— रूपये चैक नम्बर 528260 दिनांकित 16.7.2007
अंकन 3,58,500/— रूपये चैक नम्बर 528261 दिनांकित 16.7.2007
आई सी आई सी आई बैंक लि0, व अंकन 336/— रूपये नकद रजिस्ट्री के समय।

दिनांक 16.07.2007 सोलह जौलाई सन दो हजार सात ई0।
प्रालेखः नरेश राजवंशी, दस्तावेज लेखक, सरधना (मेरठ)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

क्रेता का नाम व पता............ [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 469950

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

क्रेता का नाम व पता [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : श्री राजनाथ पाठक पु० रामचन्द्र पाठक नि० [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

क्रेता का नाम व पता........ श्रीमती [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिहन:

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

क्रेता का नाम व पता..

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

उत्तर | पश्चिम | पूरब | दक्षिण

बैनामा मालियत/बाजारी कीमत — 21.51336

विक्रेता का नाम व पता — [illegible]

क्रेता का नाम व पता — [illegible]

सम्पत्ति स्थित मौजा — [illegible]

विक्रित खसरा नम्बर — 165/2, 193/2 मि, 194/1 मि, 195/1, 196/1, 198 मि, 199/1, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211

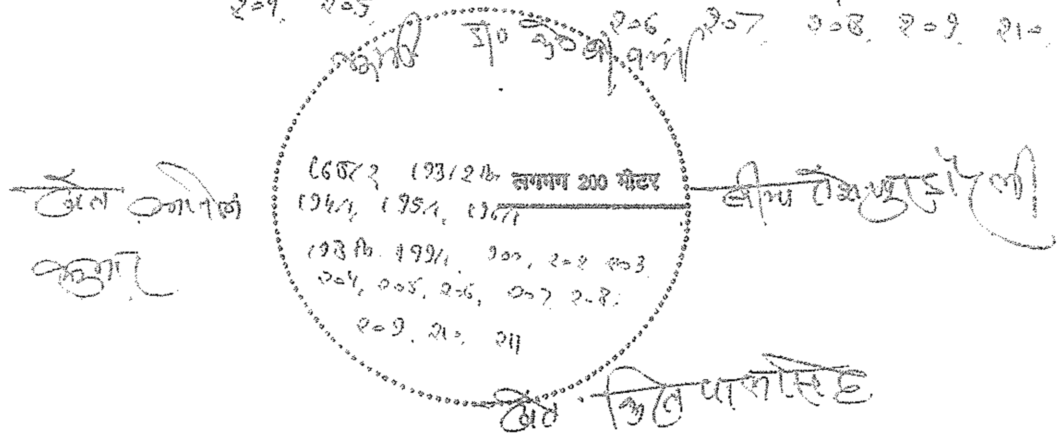

विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग/लिंक मार्ग/चकमार्ग — कोई नहीं
2. बाग/नर्सरी — कोई नहीं
3. आवासीय/वाणिज्यिक भूमि/भवन — कोई नहीं
4. शैक्षिक संस्थान/धर्मार्थ संस्थान/स्वास्थ्य केन्द्र — कोई नहीं
5. औद्योगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज — कोई नहीं
6. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/नलकूप — कोई नहीं
7. होटल/रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र — कोई नहीं
8. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय — कोई नहीं
9. अन्य

दिनांक :- 16-7-?

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

[illegible] 27-7-09 [illegible]
[illegible]
[illegible] I [illegible] 1471
[illegible] 105/722 [illegible] 7453
[illegible]
[illegible]